न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः– नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 92 / 2025

उनवान

1. श्री गोपी पिता श्री रामा जाति बैरवा नि0 दर्री वाया स्वरूपगंज तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री राजु पिता श्री दिलीप जाति चौबे नि0 स्वरूपगंज तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्री बिट्टु पिता संजू जाति जाति चौबे नि0 स्वरूपगंज तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. श्री ओमप्रकाश पिता जमना लाल जाति चौबे नि0 स्वरूपगंज तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4. श्रीमती कमला देवी पत्नि भैरू जाति बैरवा नि0 दर्री तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
5. श्री जमना लाज पिता भैरू लाल जाति बैरवा नि0 दर्री तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
6. श्री देवी पिता मगना जाति बैरवा नि0 दर्री तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
7. श्रीमति रूकमा पत्नि मगना जाति बैरवा नि0 दर्री तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
8. श्री हनुमान सिंह पिता श्री शोभाग सिंह जाति राजपुत नि0 दर्री तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

–––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09–06–2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम दर्री पटवार हल्का स्वरूपगंज भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 37 की आराजी नम्बर 420 रकबा 0.4426 हैक्टयर, आराजी नम्बर 421 रकबा 0.6955 हैक्टयर, आराजी नम्बर 422 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 423 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 424 रकबा 0.8219 हैक्टयर, कुल किता 05 रकबा 2.1876है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.05.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या **01 लगायत 16** बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **दर्री पटवार हल्का स्वरूपगंज भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेराबाद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 37 की आराजी नम्बर 420 रकबा 0.4426 हैक्टयर, आराजी नम्बर 421 रकबा 0.6955 हैक्टयर, आराजी नम्बर 422 रकबा 0.0379 हैक्टयर, आराजी नम्बर 423 रकबा 0.1897 हैक्टयर, आराजी नम्बर 424 रकबा 0.8219 हैक्टयर, कुल किता 05 रकबा 2.1876है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)